6

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण कमांक /2018/पी.बी.आर./निगरानी

निगरानी-3835/2018/ग्वालियर/भू.रा

ग्वालियर टॉवर प्रायवेट लिमिटेड इन्डस्ट्रियल स्टेट बिरला नगर द्वारा अशोक गुप्ता एंव राजेन्द्र गुप्ता पुत्रगण श्री नारायण दास गुप्ता निवासी- 423 बिरला नगर ग्वालियर म.प्र.

दिनांक 14-6-18 को श्री पंकज त्रिपाठी अभि० द्वारा प्रस्तुत/

16-6-18

4-7-18

........निगरानीकर्ता

बनाम

मध्य प्रदेश शासन द्वारा अनुविभागीय अधिकारी झांसी रोड, ग्वालियर म.प्र

.......प्रतिप्रार्थी

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 17.04.2018 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, झांसी रोड, ग्वालियर प्रकरण कमांक 75/2017-18/बी-121उक्त आदेश अनुविभागीय अधिकारी द्वारा एकपक्षीय रूप से रिव्यू की अनुमति प्रदान की गई।

सम्माननीय न्यायालय,

निगरानीकर्ता की निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः-

1. यहकि, निगरानीकर्ता व अन्य के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम ओहदपुर परगना व जिला ग्वालियर में भूमि सर्वे कमांक 273 मिन 5 रकवा 0.208 हेक्टेयर भूमि स्थित है, और उक्त भूमि निगरानीकर्ता द्वारा पूर्व में अभिलिखित भूमि स्वामियों से क्रय की जाकर विधिवत

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3835/2018/ग्वालियर/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-4-2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभय पक्ष दिनांक 30-5-2019 को सुनवाई हेतु कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । उभय पक्ष को सूचना दिया जाये । अध्यक्ष	